न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 156 सन 2022
अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. आशाराम पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
2. वेदप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रामकरण पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
4. रोहिताश पुत्र आशाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 28/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 41/40 की कुल 1.2650हैक व खाता संख्या 137/137 की कुल 1.6450हैक व रोही मोजा चक 10 केएनएन के खताा संख्या 79/79 की कुल 1.5180हैक व रोही मोजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 91/90 की कुल 3.7950हैक भूमि व रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 209/25 की कुल 10.0840हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रावता वल्द जीवन के नाम से दर्ज थी जिनके देहानत होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को पैतृक सम्पति के आधार पर प्राप्त हुई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पर्वूजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर पैतृक सम्पति के आधार पर भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वाद भूमि वादी प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 41/40 की कुल 1.2650हैक व खाता संख्या 137/137 की कुल 1.6450हैक व रोही मोजा चक 10 केएनएन के खताा संख्या 79/79 की कुल 1.5180हैक व रोही मोजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 91/90 की कुल 3.7950हैक भूमि व रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 209/25 की कुल 10.0840हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रावता वल्द जीवन के नाम से दर्ज थी जिनके देहानत होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को पैतृक सम्पति के आधार पर प्राप्त हुई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 41/40 की कुल 1.2650हैक व खाता संख्या 137/137 की कुल 1.6450हैक व रोही मोजा चक 10 केएनएन के खताा संख्या 79/79 की कुल 1.5180हैक व रोही मोजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 91/90 की कुल 3.7950हैक भूमि व रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 209/25 की कुल 10.0840हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के पैतृक सम्पति के आधार पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद सख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

Scanned with CamScanner

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एव पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 41/40 की कुल 1.2650हैव भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज भूमि के साथ 0.025है भूमि वादी के व 0.169हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के व 0.228हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 137/137 की कुल 1.6450हैव में से 240/1845 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 79/79 की कुल 1.5180हैव भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के नाम दर्ज भूमि में नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 91/90 की कुल 3.795हैव भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 209/25 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 137/134 में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम रोहिताष कुमार के स्थान पर रोहिताश संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. आशाराम पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
2. वेदप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रामकरण पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
4. रोहिताश पुत्र आशाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 156 सन 2022 निर्णय दिनांक– 28/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एव प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 41/40 की कुल 1.2650हैक भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज भूमि के साथ 0.025है भूमि वादी के व 0.169हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के व 0.228हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 137/137 की कुल 1.6450हैक में से 240/1645 हिस्सा भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 79/79 की कुल 1.5180हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के नाम दर्ज भूमि में नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 91/90 की कुल 3.795हैक भूमि मे से 1/12 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 209/25 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता सख्या 137/134 मे प्रतिवादी संख्या 4 का नाम रोहिताष कुमार के स्थान पर रोहिताश संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner